छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा सप्तम सत्र अंक-02

रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2020

(भाद्रपद 4, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि

(1) माननीय सदस्यों के लिए कोरोना जॉच हेतु विधान सभा परिसर स्थित समिति कक्ष क्रमांक 3 में व्यवस्था की गई है । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपनी सुविधा अनुसार कोरोना टेस्ट कराने का कष्ट करें ।

(2) विधान सभा की कार्यवाही के कवरेज हेतु मीडिया प्रतिनिधियों के लिए विधान सभा परिसर स्थित आडिटोरियम में स्क्रीन लगाकर कार्यवाही के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है, जो माननीय मंत्रिगण/सदस्यगण मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करना चाहते हों, वे चर्चा के लिए आडिटोरियम में जा सकते हैं ।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 05 तथा 07 से 11 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 06 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री संतराम नेताम अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 49 तारांकित एवं 59 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 25 अगस्त, 2020 में लिए गए निर्णय अनुसार निम्नलिखित वित्तीय एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है, जो इस प्रकार है :-

(1) **वित्तीय कार्य** — **समय**

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण. — 3.00 घंटे

(2) **संकल्प**

संविधान के अनुच्छेद 344 (1) और अनुच्छेद 351 से सहपठित आठवीं अनुसूची में छतीसगढ़ी भाषा को सम्मिलित करने संबंधी संकल्प। — 1 घंटा

(3) शासकीय विधि विषयक कार्य

(i)	छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020	-	15 मिनट
(ii)	छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020	-	15 मिनट
(iii)	छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य, वेतन, भत्ता तथा पेंशन(संशोधन) विधेयक, 2020	-	15 मिनट
(iv)	छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020	-	30 मिनट
(v)	छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020	-	01 घंटा
(vi)	छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020	-	15 मिनट
(vii)	छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020	-	15 मिनट
(viii)	छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020	-	15 मिनट
(ix)	छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन)	-	15 मिनट

विधेयक, 2020

(x)	छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020	-	15 मिनट
(xi)	छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020	-	15 मिनट

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019,

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 8-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन (अंकेक्षण अवधि वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक) खण्ड-1 एवं खण्ड-2,

(3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिये),

(4) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा-19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा-19 के अंतर्गत उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019,

(5) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 (01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014),

(6) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015,

(7) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18,

(8) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित, रायपुर की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 तथा

(9) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़ का 55 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019

पटल पर रखे ।

5. फरवरी-अप्रैल, 2020 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-क की अपेक्षानुसार फरवरी-अप्रैल, 2020 सत्र का 26 मार्च, 2020 को समय पूर्व सत्रावसान हो जाने के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 27, 30 एवं 31 मार्च, तथा 01 अप्रैल, 2020 की मुद्रित प्रश्नोत्तरी को प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

6. फरवरी-अप्रैल, 2020 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार फरवरी-अप्रैल, 2020 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

7. नियम 267-क के अधीन फरवरी- अप्रैल, 2020 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन फरवरी-अप्रैल, 2020 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

8. माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पंचम विधान सभा के फरवरी-अप्रैल, 2020 सत्र में पारित कुल 16 विधेयकों में से 11 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

9.सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

01. श्री सत्यनारायण शर्मा
02. श्री धनेन्द्र साहू
03. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
04. श्री शिवरतन शर्मा
05. श्री देवव्रत सिंह

10. औचित्य प्रश्न पर व्यवस्था

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई है । इस संबंध में उच्च न्यायालय के क्या निर्देश है यह सदन को मालूम नहीं है । इसमें स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये और इस पर व्यवस्था आनी चाहिये ।

इस पर श्री मोहम्मद अकबर, विधि, विधायी कार्य मंत्री, श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी विचार व्यक्त किये गये।

अध्यक्ष महोदय ने कथन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधि मंत्री जी, संसदीय कार्यमंत्री ने अपना कथन व्यक्त कर दिया है, सभी तथ्यों पर विचार कर मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखता हूं ।

11. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के नियंत्रण हेतु शासन द्वारा बनाये गये क्वारंटाईन सेन्टरों में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में 16 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं में से श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की सूचना तथ्यात्मक होने से पढ़ी गई ।

श्री टी.एस.सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री ने स्थगन प्रस्ताव ग्राहय करने हेतु सहमति व्यक्त की ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु अपराह्न 3.00 बजे का समय नियत किया ।

12. ध्यानाकर्षण सूचना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही

माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके आज की कार्य-सूची में तीन ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) सर्वश्री धरमलाल कौशिक, सौरभ सिंह, सदस्य ने प्रदेश में धान व मक्का के बीज का क्रय आदेश देने के पश्चात् भी बीजों की आपूर्ति नहीं किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) डॉ. रमन सिंह, सदस्य ने खैरागढ़ जल आवर्धन योजना में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद 13 का कार्य पूर्ण होने तक भोजनावकाश के समय में वृद्धि की घोषणा की)

(3) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल, सदस्य ने प्रदेश में हाथियों की मौत होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

13. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्री सौरभ सिंह

(3) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

(4) श्री सत्यनारायण शर्मा

(5) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी

14. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री अजय चन्द्राकर, सभापति, लोक लेखा समिति ने समिति का ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां, पन्द्रहवां, सोलहवां, सत्रहवां, अट्ठारहवां, उन्नीसवां, बीसवां, इक्कीसवां, बाइसवां, तेइसवां, चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताइसवां, अट्ठाइसवां, उनतीसवां एवं तीसवां,

(2) श्री कुलदीप जुनेजा, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति ने समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम् एवं षष्ठम् तथा

(3) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति ने समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम् ,

प्रतिवेदन प्रस्तुत किये ।

15. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई ।

16. वित्तीय वर्ष 2020-2021 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त, 2020 की तिथि निर्धारित की ।

17. समितियों का निर्वाचन

प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज लेखा समिति के लिये वर्ष 2020-2021 की शेष अवधि हेतु रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये सदस्यों का निर्वाचन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 की शेष अवधि के लिये प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, एवं स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज लेखा समिति में रिक्त हुए दो-दो स्थानों की पूर्ति के लिये अपने में से दो-दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज लेखा समिति में वर्ष 2020-2021 की शेष अवधि हेतु दो-दो सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधानसभा सचिवालय में बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2020 को अपराह्न 3.00 बजे तक दिये जा सकते हैं ।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संविक्षा बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2020 को अपराह्न 4.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगी ।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2020 को सायं 5.00 बजे, तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती हैं ।
4. निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त, 2020 को प्रात: 11 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-दो में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा ।

उपर्युक्त निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय से प्राप्त किये जा सकते है ।

18. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 17 सन् 2020)

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 17 सन् 2020) पुरःस्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन)विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020)

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन)विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020) पुरःस्थापित किया ।

(3) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020) पुरःस्थापित किया ।

(4) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 20 सन् 2020)

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 20 सन् 2020) पुरःस्थापित किया ।

(5) छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020 (क्रमांक 21 सन् 2020) (क्रमांक 21 सन् 2020)

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020 (क्रमांक 21 सन् 2020) पुरःस्थापित किया ।

(6) छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन)विधेयक, 2020 (क्रमांक 22 सन् 2020)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन)विधेयक, 2020 (क्रमांक 22 सन् 2020) पुरःस्थापित किया ।

(7) छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 23 सन् 2020)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 23 सन् 2020) पुरःस्थापित किया ।

(8) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 24 सन् 2020)

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 24 सन् 2020) पुरःस्थापित किया ।

(9) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 25 सन् 2020)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 25 सन् 2020) पुरःस्थापित किया ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत करने हेतु श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री का नाम पुकारा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य द्वारा विधेयक के पुर: स्थापन पर आपत्ति ली गई कि विधेयक को भारसाधक मंत्री ही प्रस्तुत कर सकते हैं । संसदीय कार्य मंत्री प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि भारसाधक नहीं हैं तो सामूहिक जिम्मेदारी के तहत पुर:स्थापित किया जा रहा है ।

श्री टी.एस. सिंहदेव, वाणिज्यक कर (जी.एस.टी.) मंत्री उपस्थित हुये ।

(10) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 26 सन् 2020)

श्री टी.एस. सिंहदेव, वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 26 सन् 2020) पुरःस्थापित किया ।

(11) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 27 सन् 2020)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 27 सन् 2020) पुरःस्थापित किया ।

(2.25 बजे से 3.31 बजे तक अंतराल।)

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने आग्रह किया कि सेन्ट्रल हॉल में पत्रकारों की व्यवस्था कर दें तो समाचार पत्रों में विधान सभा की कार्यवाही ठीक तरीके से प्रकाशित हो पायेगी । इस प्रकार से निर्देश दे देवें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि इस संबंध में अध्यक्ष महोदय से आग्रह कर लेंगे ।

19. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री मोहन मरकाम, अजय चन्द्राकर, शैलेश पाण्डेय, धर्मजीत सिंह,

सभापति महोदय ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 58 (1) के तहत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है । चूंकि अभी 26 सदस्यों के नाम शेष हैं ।

अत: स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री प्रकाश शक्राजीत नायक, केशव प्रसाद चंद्रा, डॉ.रमन सिंह, डॉ. विनय जायसवाल, श्री पुन्नूलाल मोहले, डॉ. प्रीतम राम, श्री नारायण चंदेल, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, श्री रामकुमार यादव, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ।

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

20. अध्यक्षीय उद्गार

अध्यक्ष महोदय द्वारा उद्गार व्यक्त किये गये कि- कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति पर विपक्ष द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को चर्चा हेतु ग्राह्य किया गया और पक्ष-विपक्ष के सदस्यों ने उस पर अपने विचार व्यक्त किये और सुझाव दिये । निश्चित रूप से इस चर्चा में आये सुझावों से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में सरकार को मदद मिलेगी ।

आज इस चर्चा के अवसर पर माननीय सदस्यों ने भी कोरोना वारियर्स द्वारा की जा रही सेवाओं की सराहना एवं सम्मान की बात कही है । मैं इस सदन के माध्यम से उन सभी कोरोना वारियर्स का अपनी ओर से एवं सदन की ओर से सम्मान करता हूं और उनकी कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करता हूं ।

रात्रि 08.10 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त, 2020(भाद्रपद-5 शक संवत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा